झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — **दशम् (मॉनसून) सत्र**

संख्या-03 — **गुरुवार, दिनांक-10 अगस्त, 2017 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 4.30 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने अपने द्वारा राज्य में घट रही घटनाओं पर दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। जिसे आसन द्वारा अनुपूरक बजट पर द्वितीय पाली में होनेवाली चर्चा के दौरान उठाये जाने हेतु निदेश दिया गया,

ii- माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत ने दिनांक-09.08.2017 को कॉंग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर धरना-प्रदर्शन के दौरान हुए लाठी चार्ज की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव, श्री इरफान अंसारी एवं श्रीमती निर्मला देवी द्वारा भी किया गया इसपर आसन द्वारा नियमापत्ति उठायी गयी,

iii- माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने दिनांक-09.08.2017 को माननीय राज्यपाल महोदया से प्राप्त आसन द्वारा सुनाये गये संदेश के सम्बन्ध में विभिन्न अखबारों में प्रकाशित समाचारों पर आपत्ति जतायी जिसपर आसन द्वारा उन्हें अखबारों में छपी खबरों पर ध्यान न देने की सलाह दी गयी तथापि माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सी.एन.टी., एस.पी.टी. तथा भूमि अधिग्रहण विधेयकों को रद्द करने की माँग की गयी,

iv- माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-98 की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को अवगत कराया गया कि अभी सी.एन.टी., एस.पी.टी. विधेयक को सदन में लाने की सरकार नहीं सोच रही है,

v- माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-109 की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराया गया और अपना विरोध दर्ज किया गया,

vi- आसन द्वारा माननीय नेता, प्रतिपक्ष को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी गयी तत्पश्चात् झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-99 एवं 99 से सदन को अवगत कराया तथा अखबारों में छपी खबरों के आलोक में किसी भी प्रकार का नियमन/निदेश देने से परहेज किये जाने की बात कही गयी और सदन चलाये जाने हेतु सभी माननीय सदस्यों से उन्होंने आग्रह करते हुए सभा को अवगत कराया कि आसन पक्ष एवं विपक्ष सभी माननीय सदस्यों का समान रूप से सम्मान करता है।

क०पृ०उ०

2.प्रश्नकालः-

इस क्रम में अ०सू० प्रश्न संख्या-12 को पूछने हेतु माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी को आसन द्वारा पुकारा गया, लेकिन पक्ष-विपक्ष द्वारा भारी नोकझोंक शुरू हो गयी जिसके कारण प्रश्नकाल नहीं लिया जा सका। आसन द्वारा माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु बार-बार आग्रह किया जाने लगा, लेकिन वे नहीं माने और शोरगुल करते रहे जिसपर आसन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

3.माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्यः-

आसन के निदेश से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सी.एन.टी., एस.पी.टी. विधेयक एवं भूमि अधिग्रहण विधेयक के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल उक्त विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सदन आहूत होता है तब राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की आशाएँ इसपर लगी रहती है। गत तीन सत्रों में सदन के बाधित रहने को माननीय मुख्यमंत्री ने चिंतनीय बताया। इन्होंने जोर देकर कहा कि सी.एन.टी., एस.पी.टी. एक्ट में संशोधन जनता के हित में थे जिसपर वे आज भी कायम हैं। **(इस अवसर पर विरोधस्वरूप विपक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री, दीपक बिरूवा, पौलुस सुरीन, जगरनाथ महतो, जय प्रकाश भाई पटेल, मनोज कुमार यादव एवं श्रीमती निर्मला देवी सहित अन्य कतिपय सदस्यगण सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)**

अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.42 बजे पूर्वा० से 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की भाँति झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी तथा काँग्रेस के श्री सुखदेव भगत ने माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा वापस किये गये सी.एन.टी., एस.पी.टी. एक्ट के सम्बन्ध में सरकार से वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु आग्रह किया। इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के कई माननीय सदस्य अपने हाथों में पोस्टर लिये हुए आपनी-अपनी जगह पर खडे हो गये जिससे भारी शोरगुल होने लगा तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि अभी सरकार इस बिल को संशोधन कर पुनः वापस नहीं ला रही है, इसलिए अभी यह ठंडे बस्ते में चला गया।

4.संदेश का पढा जानाः-

माननीय अध्यक्ष द्वारा झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण एवं घरेलू कामगार (विनियमन) विधेयक, 2016 के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदया से प्राप्त संदेश को पढ़ा गया।

क्र०पृ०उ०

5.सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

i- (क) आसन द्वारा पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-304(6) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम् (मॉनसून) सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

(ख) आसन द्वारा पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-304(6) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के अष्टम् (बजट) सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

ii- श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय सभापति द्वारा प्राक्कलन समिति का नवम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

iii- श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, माननीय सभापति द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 18वाँ एवं 19वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये,

iv- श्री आलमगीर आलम, माननीय सभापति द्वारा सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का 34वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

v- श्रीमती मेनका सरदार, माननीया सभापति द्वारा याचिका समिति का 15वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

vi- श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सभापति द्वारा निवेदन, गैर-सरकारी संकल्प एवं शून्यकाल समिति का दूसरा एवं तीसरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये।

6.ध्यानाकर्षण की सूचनायें एवं उसपर सरकारी वक्तव्य:-

i- माननीय सदस्य, श्री योगेन्द्र प्रसाद एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

सरकारी वक्तव्य के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जोर देकर कहा गया कि विषयांकित मामले में भी नियुक्ति के समय स्थानीय को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि इसमें उम्र सीमा को भी क्षांत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

ii- माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

7.वित्तीय कार्य:-

''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' की माँग माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा रखी गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

क्र०पृ०उ०

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया

8.वित्तीय कार्य(क्रमांक-7 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँग एवं इसके अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु विभिन्न दलों के निमित्त समय का आवंटन आसन द्वारा किया गया तदुपरांत श्री राजकुमार यादव द्वारा चर्चा प्रारंभ किया तत्पश्चात् निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया:-

श्री राधाकृष्ण किशोर,
श्री रबीन्द्रनाथ महतो,
श्रीमती विमला प्रधान,
श्री आलमगीर आलम,
श्री राज सिन्हा,
श्री कुणाल षड़ंगी,
श्री मनीष जयसवाल एवं
श्री भानू प्रताप शाही तत्पश्चात् उपर्युक्त माँग माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त माँग सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

9.विधायी कार्य:-

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, अनुसूची, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक-11 अगस्त, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

राँची,
दिनांक- 10, अगस्त, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।